बिहार में अब कॉमर्शियल वाहनों में डिवाइस लगाना हुआ अनिवार्य

चर्चा में क्यों?

17 दिसंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब प्रत्येक कॉमर्शियल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिवहन विभाग के अनुसार राज्य में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में महिलाओं एवं यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है।
- इस डिवाइस के नहीं लगाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। साथ ही उस गाड़ी के मालिक पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया जायेगा।
- वर्तमान में पटना, गया, दरभंगा भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में तेजी से लगाया जा रहा है क्योंकि इन शहरों में सार्वजनिक गाड़ी की संख्या अधिक है।
- यह एक ऐसा डिवाइस है, जिससे यह पता चल पायेगा कि वाहन किस जगह है। इससे परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम में प्रत्येक वाहनों के लोकेशन की सही जानकारी मिल पायेगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mandatory-to-install-the-device-in-commercial-vehicles